रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236644
CG-DL-E-16062022-236644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944
No. 434] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

सा.का.नि. 455(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) के मद (III) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सत्रहवाँ.संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 21कझ में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाइयों से होने वाली आय विनिर्दिष्ट निधि में अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उपनियम 2 के अनुपालन के साथ न हो ।";

(ii) नियम 21कझ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21कझक. अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अन्य शर्तें पूरी करना अपेक्षित है- (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) के मद (III) के परंतुक के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अन्य शर्तों की पालन अपेक्षित है जो निम्नलिखित है, अर्थात् :-

(क) विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक, ऐसी निधि के प्रायोजक अथवा प्रबंधक के सिवाए जो अधिनियम की धारा 6 के खंड (1क) या खंड(1) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निवासी बन जाता है पिछले वर्ष के बाद जिसमें ऐसी इकाई या इकाईयां जारी की गई थी, ऐसी विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक तीन माह से भीतर पूर्व वर्ष के अंत से, जिसमें वह निवासी बना था, बना रहेगा।

(ख) खंड (क) के प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट निधि इकाई धारको के संबंध में निम्नलिखित प्रलेखन का रखरखाव करेगी :-

(i) इकाई धारक का नाम;

(ii) इकाई धारक का कर पहचान संख्या निवास देश में जिस समय इकाईयां जारी की गई थी;

(iii) स्थायी खाता संख्या; यदि उपलब्ध हो;

(iv) धारित इकाईयों की कुल संख्या;

(v) धारित इकाईयों का कुल मूल्य;

(vi) क्या इकाई धारक प्रयोजक अथवा प्रबंधक है;

(vii) पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें इकाईधारक निवासी बना; और

(viii) विनिर्दिष्ट निधि से निर्गमन की तारीख ।

2 विनिर्दिष्ट निधि प्रमाणित करेगी कि उसने उप-नियम(1) के अधीन शर्तें पूरी करती हो और प्ररूप सं. 10-झछ में निवासियों द्वारा धारित इकाईयों से संबंध में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण की सूचना प्रस्तुत करेगी।

3 अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाईयों से होने वाली आय विनिर्दिष्ट निधि में अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उपनियम 2 के अनुपालन के साथ न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड 4घ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में है।";

(iii) नियम 21कञ में, उपनियम(3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा।

"(3क) धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खंड(क) तथा खंड (ख) के अनुसार विनिर्दिष्ट निधि की आय अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाईयों से होने वाली धारा 115 कघ में निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि ये प्ररूप सं. 10झज में रियायती कराधान के लिए उपनियम 3 के उपबंधों के अनुसार पात्र आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें।";

(iv) नियम 21कञक में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(3क) विनिर्दिष्ट निधि की आय पात्र विनिधान दशा के कारण धारा 10 के खंड 4घ के अधीन छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ये प्ररूप स. 10झट में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें और प्ररूप 10झठ में उपनियम 2 के उपबंधों के अनुसार लेखा-परीक्षित रिपोर्ट न दें।";

(v) नियम 21कञकक में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(2क) धारा 115कघ की उपधारा(1) के खंड (ख) तथा खंड (क) के अनुसार पात्र विनिधान दशा की आय धारा 115कघ के अधीन निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र विनिधान दशा प्ररूप 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान हेतु पात्रता का उपनियम 2 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें।"।

3. मूल नियमों में, प्ररूप सं. 10झछ के परिशिष्ट के लिए निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा अर्थात्:-

"प्ररूप सं.10झछ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण

[नियम 21कझ का उपनियम (2) एवं नियम 21कजक का उपनियम (2) देखिए]

क्र.सं.				
1	विनिर्दिष्ट निधि का नाम:			
2	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:			
3	विधिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/ निगमित निकाय):			
4	स्थायी खाता संख्यांक:			
5	समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष:			
6	(i)	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	(ii)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख		दिन/मास/वर्ष
7	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय			(रुपए में)
धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त के ब्यौरे				
क्रम सं.	विनिर्दिष्ट निधि की आय की प्रकृति		कुल आय (रुपए में)	अनिवासी द्वारा धारित इकाईयों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का कोई स्थायी स्थापन नहीं है)
8	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल, संदत्त या संदेय विदेशी विनिमय में संपरिवर्तनीय है **(क)**		उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
9	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय (भारत में निवासी किसी कंपनी में शेयरों से भिन्न) **(ख)**		उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
10	किसी अनिवासी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) और जहां ऐसी आय अन्यथा, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है **(घ)**		उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
11	किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय, जो "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है **(ङ)**		उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
12	**धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त कुल आय**			
13	क्या नियम 21कझक के उपनियम (1) के अधीन शर्तों का पालन किया गया है ?			हां/नहीं
14	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 6 के खंड (1क) अथवा खंड (1) के अधीन निवासियों द्वारा धारित इकाई का विवरण			

	क्रम सं.	निवासी इकाई धारक का नाम	निवासी का पैन यदि उपलब्ध हो	कर पहचान संख्या निवासी देश पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जब इकाई जारी की गई	धारित इकाईयों की कुल संख्या	धारित इकाईयों का मूल्य (रूपयों में)	क्या प्रायोजक या प्रबंधक हां/नहीं	क्या निवासी अधिनियम की धारा 6 के खंड (1) या खंड (1क) के अधीन इस पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के पश्चात् जिसमें ऐसी इकाईयां जारी की गई थी निवासी बना है हां/नहीं	यदि हां तो निधि निर्गम की तिथि ता/मा/व
	कुल								
15	पूर्व वर्ष के दौरान इकाइयों का कुल मूल्य (रू. करोड़ में)								
16	पूर्व वर्ष के दौरान इकाइयों की कुल संख्या								
17	पूर्व वर्ष के दौरान निवासी द्वारा धारित इकाई (मूल्य) का अनुपात								
18	पूर्व वर्ष के दौरान निवासी द्वारा धारित इकाई (संख्या) का अनुपात								

घोषणा

मैं.....(पूरा नाम साफ और स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....घोषणा करता हूँ/करती हूँ, कि :

(i) उपरोक्त किए गए कथन और उपाबंध (धों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध/उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण हैं ;

(ii) निधि को अनुकल्पी विनिधान निधि प्रवर्ग 3 के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित हैं;

(iii) निधि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(iv) किसी प्रायोजक अथवा उनके लिए जो पूर्व वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के पश्चात् जिसमें इकाईयां जारी की गई थी में निवासी बने हैं द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न, विनिर्दिष्ट निधि की सभी यूनिट अनिवासियों द्वारा धारित हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्व वर्ष के दौरान _ _वर्ष-वर्ष निवासी इकाई धारक या इकाई धारकों द्वारा धारित इकाईयों का कुल मूल्य तथा संख्या धारा 6 के खंड (1) अथवा (1क) के अधीन प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित इकाइयों के अतिरिक्त जो पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे जब ऐसी इकाईयां जारी की गई थी, 5 प्रतिशत से अधिक न हो तथा वे पूर्व वर्ष के अंत से 3 माह की अवधि के भीतर जिसमें वे निवासी बने इकाई धारक बने रहे

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि पूर्व वर्ष के दौरान __वर्ष-वर्ष निवासी द्वारा धारित इकाई की गणना अनिवासी द्वारा धारित इकाई के अनुसार नियम 21कझ के उपनियम(1) तथा नियम 21कझ के उपनियम (1) तथा नियम 21कज के उपनियम (1) एवं (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना के प्रयोजनार्थ की गई है।

मैं और यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण अपनी.....की हैसियत से (पदनाम) प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रही हूँ और मैं यह विवरण प्रस्तुत करने और यह घोषणा करने में सक्षम हूँ।

स्थान :

तारीख:

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

टिप्पण.-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
2. "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों या विनिधान के मूल्य का अंतिम अतिशेष अभिप्रेत है ;
3. "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है;
4. "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
5. "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में इसका है ;
6. "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में इनका है;
7. "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में इसका है ;
8. "इकाई" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में इसका है।
9. सभी रकम भारतीय रुपए में उल्लिखित की जाएं।

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पूंजी अभिलाभ (रुपए में)	ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक किसी अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के प्रबंधन के अधीन दैनिक आस्तियों का योग	ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्तिया प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के "प्रबंधन के अधीन" दैनिक आस्तियों का योग	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
भाग 1. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्चेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
कुल								

भाग 2. प्रतिभूतियों (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों से भिन्न) के अंतरण से आय								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=(5)*(8)
कुल								

+ प्रतिभूतियों की संख्या की अपेक्षिततानुसार पंक्ति जोड़ें ।

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति	आय की प्राप्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	आय (रुपए में)	आय की प्राप्ति की तारीख को अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित प्रबंधन के अधीन आस्तियां	आय की प्राप्ति की तारीख को प्रबंधन की कुल आस्तियां	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(6)(7)**	**(9) =(5)*(8)**
भाग 1. किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित इकाईयों के कारण प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और जहां ऐसी आय, अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है								
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(6)(7)**	**(9) =(5)*(8)**
कुल								
भाग 2. "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाख" शीर्ष के अधीन मानी जा सकने वाली किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय								
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(6)(7)**	**(9)=(5)*(8)**
कुल								

+ अपेक्षित पंक्तियां जोड़ें

^ सुसंगत कोड का चयन किया जाए

1. लाभांश

2. ब्याज

3. अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)"|

[अधिसूचना संख्यांक 64/2022/फा. सं. 370142/24/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 404(अ) तारीख 31 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।